बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांकः–प्र0/विद्युत बोर्ड–01/2015 पटना, दिनांक–________

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **बाह्य सम्पोषित परियोजना के अंतर्गत एशिएन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण प्राप्त कर बहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्त्तमान में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड के संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 153.9 मिलियन डॉलर (708 करोड़ रूपये) की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार को ए0 डी0 बी0 द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वैधानिक कटौतियों एवं परामर्शी के फीस आदि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कराए गए रू0 37,28,34,011/–(सैंतीस करोड़ अठाइस लाख चौंतीस हजार ग्यारह) रूपये, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूभमेन्ट के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 37,28,34,011/–(सैंतीस करोड़ अठाइस लाख चौंतीस हजार ग्यारह) रूपये बिहार सरकार के खाते में जमा की गई है। यह राशि बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूभमेन्ट के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सम्पोषित योजना के सभी पैकेजों के कार्यान्वयन हेतु वैधानिक कटौतियों एवं परामर्शी के फीस आदि के मद में किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध करायी गयी है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस मद में उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

Name of Agency.	W/Appl. No.	Amount
बिहार सरकार	RP011	Rs. 30,62,84,822
बिहार सरकार	RP012	Rs. 5,98,04,957
बिहार सरकार	RP013	Rs. 67,44,232
	Total	**Rs. 37,28,34,011**

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बाह्य सम्पोषित परियोजना के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्त्तमान में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड के संचरण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 153.9 मिलियन डॉलर (708 करोड़ रूपये) की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार को ए0 डी0 बी0 द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से वैधानिक कटौतियों एवं परामर्शी के फीस आदि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कराए गए 37,28,34,011/–(सैंतीस करोड़ अठाइस लाख चौंतीस हजार ग्यारह) रूपये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तो की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई हैः–

(क.) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख.) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

(ग.) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ.) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(ड.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

4. मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज– उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष–0108– बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड की संचरण तथा परियोजना (वाह्य सम्पोषित योजना)–राज्य योजना मांग सं0–10–विपत्र कोड–पी0 6801001900108 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड, पटना को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355, दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त निमित स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–प्र0/विद्युत बोर्ड–01/2015 के पृष्ठ सं0 28/टि0 पर दिनांक–25.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(प्रत्यय अमृत),

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांकः–________ दिनांकः–________

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांकः– 1061 दिनांकः– 27/03/2017

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

D:\Priyanka 01-01-2017\Budget & Surrender\Rajesh Sr\Rajesh-1.doc

(7)